रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 744] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 17, 2018/आश्विन 25, 1940
No. 744] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 2018/ASVINA 25, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर , 2018

सा.का.नि. 1038 (अ).—केन्द्रीय मोटर यान (त्रिपुरा में बॉटलिंग संयंत्र के लिए बांग्लादेश से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का विनियमन) नियम, 2018 का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 750(अ), तारीख 3 अगस्त, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त प्रारूप नियमों से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 3 अगस्त, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 139 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान, (त्रिपुरा में बॉटलिंग संयंत्र के लिए बांग्लादेश से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का विनियमन) नियम, 2018 है ।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "एमओयू" से उत्तर पूर्व भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश की रजिस्ट्रीकृत कंपनी के साथ भारत की रजिस्ट्रीकृत पेट्रोलियम उत्पाद शोधन और आपूर्ति कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन अभिप्रेत है;

(ख) "क्रू" से मोटर यान के ड्राइवर और हेल्पर अभिप्रेत है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है,-

(i) "नियमित परमिट" के संबंध में बांग्लादेश की विधि के अधीन ऐसा परमिट जारी करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी;

(ii) "ड्राइविंग लाइसेंस" के संबंध में बांग्लादेश की विधि के अधीन ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम एक प्राधिकारी;

(iii) "योग्यता प्रमाण पत्र" के संबंध में बांग्लादेश की विधि के अधीन ऐसा योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम एक प्राधिकारी ;

(iv) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" के संबंध में बांग्लादेश की विधि के अधीन ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम एक प्राधिकारी;

(घ) "हेल्पर प्रमाण पत्र" से एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;

(ड.) "ड्राइविंग लाइसेंस" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मोटर यान चलाने के लिए अधिकृत किया जाता है ;

(च) "यान" से बांग्लादेश और भारत के बीच एलपीजी के ढुलाई के लिए मोटर यान अभिप्रेत है;

(छ) "योग्यता प्रमाण पत्र" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो सड़क पर चलने के लिए यान की यांत्रिक योग्यता प्रमाणित करता है;

(ज) "बीमा पॉलिसी" से भारतीय राज्यक्षेत्र में विस्तारणीय एक विधिमान्य बीमा पॉलिसी अभिप्रेत है जिसमें तृतीय पक्षकार जोखिम व्यापक रूप से सम्मिलित है;

(झ) "परमिट" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसके द्वारा यान के संचलन को प्राधिकृत किया जाता है;

(ञ) किसी यान के संदर्भ में प्रयोग किए जाने पर " रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्रेत है

(ट) "विस्फोटक लाइसेंस" से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किया गया लाइसेंस अभिप्रेत है ।

3. यान का ड्राइवर के नियंत्रण के अधीन होना- भारतीय राज्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय संचालित या प्रयोग किए जाने वाले वाहन को इस तरह अनुरक्षित किया जाएगा कि वह ड्राइवर के प्रभावी नियंत्रणाधीन हो ।

4. **ड्राइवर द्वारा धारित दस्तावेज**.— यान के ड्राइवर द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाले यान के वर्ग के लिए लागू ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी, मार्ग परमिट और विस्फोटक लाइसेंस धारित किया जाएगा ।

5. **दस्तावेजों का सत्यापन**.— भारतीय राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने पर परिवहन विभाग के पदधारी द्वारा यान के साथ उपलब्ध निम्नलिखित दस्तावेजों के विवरण और विधिमान्यता का सत्यापन किया जाएगा:–

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(ii) योग्यता प्रमाण पत्र;

(iii) बीमा पॉलिसी;

(iv) मार्ग परमिट;

(v) ड्राइविंग लाइसेंस;

(vi) विस्फोटक लाइसेंस ।

IndiaCode

6. **आयातक द्वारा दुर्घटना आदि को सूचित किया जाना**.— भारतीय राज्यक्षेत्र में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले यान के ठप्प होने, दुर्घटना होने या किसी अन्य घटना के मामले में, आयातकर्ता द्वारा परिवहन विभाग या यातायात विभाग और स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगा।

[सं. आरटी-11036/98/2017-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2018

G.S.R.1038 (E).—Whereas, the draft Central Motor vehicles (Regulation of Petroleum Products supply to bottling plant in Tripura from Bangladesh) Rules, 2018 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 750(E), dated the 3rd August, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 3rd August, 2018;

And whereas, no objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 139 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Regulation of petroleum products supply to bottling plant in Tripura from Bangladesh) Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "MoU" means the Memorandum of Understanding, signed by a registered Petroleum Products Refining and Supply Company of India with a registered company of Bangladesh for the supply of petroleum products to North East India;

(b) "crew" means driver and helper of the motor vehicle;

(c) "competent authority" means,-
in relation to-
(i) "regular permit", an authority competent to issue such a permit under the law of Bangladesh;
(ii) "driving licence", an authority competent to issue such driving licence under the law of Bangladesh;
(iii) "certificate of fitness", an authority competent to issue such certificate of fitness under the law of Bangladesh;
(iv) "registration certificate", an authority competent to issue such Registration Certificate under the law of Bangladesh;

(d) "helper's certificate" means a certificate issued by the party signing the MoU;

(e) "driving licence" means the document issued by a competent authority, authorising the person specified therein to drive a motor vehicle;

(f) "vehicle" means motor vehicle, for the carriage of Liquefied Petroleum Gas(LPG) between Bangladesh and India;

(g) "certificate of fitness" means a certificate issued by a competent authority, testifying the mechanical fitness of the vehicle to ply on the road;

(h) "insurance policy" means a valid vehicle insurance policy, extendable in Indian territory, covering comprehensive third party risks;

(i) "permit" means document issued by the competent authority authorising the movement of a vehicle;

(j) "registration certificate" when used with reference to a vehicle, means the certificate of registration issued by the competent authority;

(k) "explosive license" means license issued by Petroleum Explosive Safety Organisation under Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India;

3. Vehicle to be under the control of driver.—A vehicle operated or used while entering into the Indian territory will be so maintained that it is under the effective control of the driver.

4. Documents to be possessed by driver.—Driver of the vehicle shall be in possession of the driving license applicable for the class of the vehicle entering into the Indian territory, registration certificate, fitness certificate, insurance policy, route permit and explosive license.

5. Verification of documents.—The official from the transport department, on entry into Indian territory, shall verify the details and the validity of the following documents available with the vehicle, namely:-

(i) Registration certificate ;
(ii) Fitness certificate;
(iii) Insurance policy;
(iv) Route permit;
(v) Driving licence;
(vi) Explosive license.

6. Importer to inform about accident etc.- In case of a breakdown, accidents or any other incident with the vehicle used for transport bulk petroleum products in the Indian territory, the importer shall inform the transport department or traffic department and the local police.

[No.RT-11036/98/2017-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.10.22 11:16:21 +05'30'